न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
म्युटेशन अपील सं०- 6/2021
ललिता बनाम पूजा वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24.08.22	वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलान्ट ललिता पुत्र भंवरू उर्फ भंवराराम जाति प्रजापत निवासी मेघवालों का बास भवानी गांव तहसील परबतसर जिला नागौर के पिता भंवरू पुत्र मोती राम के नाम पैतृक खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 102 रकबा 7.02 हैक्टयर व खसरा नम्बर 103 रकबा 3.24 हैक्टयर वाके सरहद भवानीगांव तहसील परबतसर में दर्ज थी। अपीलान्ट के पिता भंवरू उर्फ मोती का दिनांक20.04.2018 को देहान्त हो जाने के बाद नायब तहसीलदार भकरी द्वारा भवानीगांव तहसील परबतसर के खसरा संख्या 102, 103 किस्म बारानी का खातेदार भंवरू पुत्र मोती जाति जाट हिस्सा 274 / 2853 का नामान्तकरण संख्या--201 केवल पूजा पुत्र भंवरू जाति जाट व मंजूदेवी उर्फ गीता पत्नि भंवरू जाति जाट के नाम दिनांक 30.07.2020 को स्वीकृत कर दिया। अपीलान्ट ललिता भी उक्त भंवरू उर्फ भंवराराम की पुत्री होने के बावजूद भी उसके नाम को उक्त नामान्तरकरण में सम्मिलित नहीं किया जाने से अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण दिनांक 30.07.2020 को अपास्त कर अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। अतः विकास अधिकारी पंचायत परबतसर को आदेश दिया जाता है उक्त मृतक भंवरू पुत्र मोती जाति जाट के विधिक वारिसान की नियमानुसार जॉच कर भंवरू उर्फ मोती जाति जाट के विधिक वारिसान सूचना इस न्यायालय को आगामी पेशी से पूर्व प्रेषित करे। इस आदेशिका की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक 20.09.2022 को पेश हो। (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, नागौर	
20/9/22	राजपैरोकार श्री O.P. पूनिया उप० अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट को रुक-रुक कर बार-बार न्यायालय समय समाप्ति तक आवाजे लगवाई गई, परन्तु अपीलान्ट व वकील अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार परबतसर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए इस आदेशिका की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (पीयुष समारिया) कलक्टर, नागौर	